भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में "**मनोवेज्ञानिक**" पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में "**मनोवेज्ञानिक**" के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपतिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए टिप्प/भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल - कर सकते हैं।

ग, सामंत
(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख :   2019

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (मनोवैज्ञानिक) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण एवं वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मनोवैज्ञानिक	01*(एक) (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6 (रू. 35400-112400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष और दो वर्ष का संबद्ध अनुभव। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष। टिप्पण-1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए

...बद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।				हुए है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 5 (29200-92300 रू.) में पाँच वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो ;

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज - अध्यक्ष 2. तंत्रिकाविज्ञान विभाग के प्रमुख - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज का कार्य देखने वाले उपनिदेशक उपनिदेशक - सदस्य 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज - सदस्य	लागू नहीं होता

[ए.12018/14/2019-एमएच-II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार